



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267085
CG-DL-E-22102025-267085

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947

No. 686]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 770(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 67 और धारा 87 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेलवे लाल टैरिफ नियम, 2000 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे लाल टैरिफ (द्वितीय संशोधन) नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेलवे लाल टैरिफ नियम 2000 की तालिका ॥ के कॉलम (1) के उपशीर्ष “द्रव गैसों” के अंतर्गत मद “द्रवीकृत ईथेन” और तदनुरूप स्तंभ (4) में, उपशीर्षक “अपवादात्मक या अतिरिक्त पैकिंग नियम” के अंतर्गत मद “टी-75 आईएसओ कंटेनर” को शामिल किया जाएगा।

[फा. सं. टीसीआर/1015/2025/(3503375)]

सुरेन्द्र कुमार अहिरवार, कार्यकारी निदेशक यातायात वाणिज्य (दर)

टिप्पणि - मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग ॥ खंड 3, उपखंड (I) में दिनांक 15 जुलाई 2000 के सा.का.नि. 266 के तहत प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार दिनांक 26 सितम्बर 2025 के सा.का.नि. 719(अ) की अधिसूचना के तहत संशोधित किये गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2025

G.S.R. 770 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 67 and Section 87 of the Railways Act, 1989(24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways Red Tariff Rules, 2000 namely—

1. (1) These rules may be called the Railways Red Tariff (Second Amendment) Rules, 2025.
2. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Railways Red Tariff Rules 2000, in the Table II, in column (1), under the sub heading "Liquid Gases", the item 'Liquefied Ethane', may be inserted and correspondingly in column (4), under the sub heading "Exceptional or Additional packing Rules", the item 'T-75 ISO Container' shall be inserted for 'Liquefied Ethane'.

[F. No. TCR/1015/2025/3503375]

SURENDRA KUMAR AHIRWAR, Executive Director, Traffic Commercial (Rates)

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) vide G.S.R. 266, dated 15th July, 2000 and was last amended vide notification number G.S.R.719(E) dated 26th September, 2025.